

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION
RAJYA SABHA

STARRED QUESTION NO. *62

ANSWERED ON 29.07.2024

WATER-STRESSED AREAS IN MAHARASHTRA

***62. DR. MEDHA VISHRAM KULKARNI**

Will the Minister of JAL SHAKTI be pleased to state:

- (a) list of water-stressed areas in Maharashtra and the reasons for the crisis, district-wise ;
- (b) the details of the initiatives taken by Government to deal with the water crisis in the districts of Maharashtra; and
- (c) whether Government has initiated any water conservation projects like rainwater harvesting, groundwater recharge and construction of small dams, if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF JAL SHAKTI

(SHRI C R PAATIL)

- (a) to (c) : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF STARRED QUESTION NO. *62 TO BE ANSWERED ON 29.07.2024 IN RAJYA SABHA REGARDING “WATER STRESSED AREAS IN MAHARASHTRA”

(a) Dynamic Ground Water Resources of the country are being periodically assessed jointly by Central Ground Water Board (CGWB) and State Governments. As per the Ground Water resource assessment 2023, in the State of Maharashtra, 57 blocks are Semi critical, 9 blocks are Critical and 9 blocks are over-exploited. The reason for water stress area, on the supply side is less & erratic rainfall and on the demand side due to excessive cultivation of high water intensity crops like Sugarcane, Banana, Grapes and Oranges. District-wise over-exploited, Critical, Semi critical (OCS) Block details of Maharashtra are placed as **Annexure-I**.

(b) ‘Water’ being a State subject, during water crisis situation, the states are required to start relief and rehabilitation measures in all those areas which are badly affected. The Relief & Rehabilitation Department of the Government of Maharashtra has introduced several initiatives such as waiver of land revenue, restructuring of Crop loan, adjournment of recovery on current bills of agriculture pumps, provision of water tankers for water supply wherever necessary, non-disconnection of power supply to agriculture pumps of farmers in villages in which scarcity has been declared.

(c) ‘Water’ being a State subject, steps for augmentation, conservation and efficient management of water resources are primarily undertaken by the respective State Governments. In order to supplement the efforts of the State Governments, Central Government provides technical and financial assistance to them through various schemes and programmes.

The Ministry of Jal Shakti has been implementing Jal Shakti Abhiyan (JSA) since 2019 on an annual basis. In the current year, Ministry of Jal Shakti is implementing Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain (JSA: CTR) 2024, 5th in the series of JSAs, in all the districts (rural as well as urban) of the country, including Maharashtra. The focused interventions of the campaign include (1) water conservation and rainwater harvesting (2) enumerating, geo-tagging & making inventory of all water bodies; preparation of scientific plans for water conservation based on it (3) setting up of Jal Shakti Kendras in all districts (4) intensive afforestation and (5) awareness generation. The details of work completed in Maharashtra under JSA: CTR from the year 2021 to 2024 are placed as **Annexure-II**.

Central Ground Water Board (CGWB) has completed the National Aquifer Mapping (NAQUIM) Project in the entire mappable area of about 25 Lakh sq. km including the entire mappable area i.e., 259914 km² in the state of Maharashtra. This will help the State Government in better planning of ground water resources.

The construction of area specific Artificial Recharge Structure was taken up by CGWB for Aquifer Rejuvenation under Ground Water Management and Regulation (GWMR) Scheme in Over Exploited Watersheds in the Osmanabad district during 2018-19. A total 55 Nos. Check dams, 46 nos. Recharge Wells & 20 nos. Piezometers were constructed and handed over to State Government.

Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) was launched during the year 2015-16, with an aim to enhance physical access of water on farm and expand cultivable area under assured irrigation, improve on-farm water use efficiency, introduce sustainable water conservation practices, etc. During 2016-17, twenty six (26) ongoing Major & Medium Irrigation projects under PMKSY-AIBP of Maharashtra having balance estimated cost of Rs. 21925.75 crore [Central Assistance (CA) component of Rs.3045.87 crore] as on 01.04.2016 have been prioritized in consultation with States.

A Special Package has been taken up for financial assistance by Government of India in July, 2018 for completion of 83 Surface Minor Irrigation (SMI) projects and 8 Major/Medium irrigation projects in drought prone districts in Vidarbha and Marathwada and rest of Maharashtra in phases, up to 2022-23. On 13.07.2023, Ministry of Finance conveyed the extension of Special Package for Maharashtra till March'2025. During 2018-19 to 2023-24, an irrigation potential of 1.47 lakh hectare has been created through Special Package for Maharashtra.

Government of India is implementing Atal Bhujal Yojana (ATAL JAL), a Central Sector Scheme in identified water stressed areas of 8203 Gram Panchayats (GPs) under 229 blocks in 80 districts of Seven States viz. Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, **Maharashtra**, Rajasthan and Uttar Pradesh with an aim to arrest decline in ground water level through community led sustainable groundwater management. The scheme is being implemented from 01.04.2020 for a period of 5 years. The scheme is taken up in 43 administrative blocks in 13 districts of Maharashtra.

The Government of Maharashtra has taken various initiatives to alleviate the situation of water stressed regions of the State such as Rain water harvesting through Jal-yukta Shivar Yojana, Rapid Catchment Area Treatment, construction of minor irrigation tanks, small check dams.

Steps taken by the Ministry of Jal Shakti and other Central Ministries for Water conservation, Control and regulation of ground water and to promote rain water harvesting / artificial recharge/ water use efficiency etc. can be seen at the URL:

<https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2024/07/20240716706354487.pdf>

ANNEXURE-I

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *62 TO BE ANSWERED ON 29.07.2024 REGARDING “WATER-STRESSED AREAS IN MAHARASHTRA”

District-wise Over exploited, Critical, Semi critical (OCS) Block details of Maharashtra

S.No	Name of District	Semi Critical	Critical	Over Exploited	Total
1	AHMEDNAGAR	5	4	1	10
2	AKOLA	1	0	0	1
3	AMRAVATI	3	1	3	7
4	AURANGABAD	7	0	0	7
5	BULDHANA	7	0	2	9
6	JALGAON	10	0	2	12
7	LATUR	1	0	0	1
8	NAGPUR	1	0	0	1
9	NASHIK	3	3	0	6
10	OSMANABAD	2	0	0	2
11	PUNE	7	1	0	8
12	SANGLI	1	0	0	1
13	SATARA	2	0	0	2
14	SOLAPUR	7	0	1	8
	Total	57	9	9	75

ANNEXURE-II

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *62 TO BE ANSWERED ON 29.07.2024 REGARDING “WATER-STRESSED AREAS IN MAHARASHTRA”

The details of work completed in Maharashtra under JSA: CTR from the year 2021 to 2024

Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain					
Intervention-Wise Status Report-Maharashtra					
(Status From 22.03.2021 to 23.07.2024)					
(Fig. showing no. of works completed)					
S.No.	Years	Water Conservation and Rain Water Harvesting	Renovation of Traditional Water Bodies	Reuse and Recharge Structures	Watershed Development
1.	2024	1,742	526	4,879	1,927
1.	2023	11,381	3,469	26,155	6,400
2.	2022	15,425	4,624	27,905	8,291
3.	2021	4,187	1,197	7,788	6,543
Sub Total		32,735	9,816	66,727	23,161
Total		1,32,439			

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 62
जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

.....

महाराष्ट्र में जल-संकटग्रस्त क्षेत्र

62. डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महाराष्ट्र में जिलावार जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों के नाम क्या हैं और उनमें संकट के क्या-क्या कारण हैं;
- (ख) महाराष्ट्र के जिलों में जल संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और छोटे बांधों के निर्माण जैसी जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री सी.आर.पाटिल)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"महाराष्ट्र में जल-संकट ग्रस्त क्षेत्र" के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *62 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से देश के सक्रिय भूमि जल संसाधनों का आवधिक आकलन किया जा रहा है। भूजल संसाधन आकलन 2023 के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में 57 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल, 9 ब्लॉक क्रिटिकल और 9 ब्लॉक अतिदोहित हैं। जल की कमी वाले क्षेत्र होने का कारण, आपूर्ति पक्ष की दृष्टि से कम और अनियमित वर्षा है और मांग पक्ष पर गन्ना, केला, अंगूर और संतरे जैसी उच्च जल की आवश्यकता वाली फसलों की अत्यधिक खेती है। महाराष्ट्र के जिला-वार अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल (ओसीएस) ब्लॉक का ब्यौरा **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

(ख): जल राज्य का विषय होने के कारण, जल की कमी की स्थिति के दौरान, राज्यों को बुरी तरह प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपाय शुरू करने होते हैं। महाराष्ट्र सरकार के राहत और पुनर्वास विभाग ने कई पहल शुरू की हैं जैसे कि भूमि राजस्व की छूट, फसल ऋण का पुनर्गठन, कृषि पंपों के मौजूदा बिलों पर वसूली का स्थगन और जहां आवश्यक हो, वहां पानी की आपूर्ति के लिए पानी के टैंकों का प्रावधान, ऐसे गांवों जिनमें बिजली की कमी घोषित की गई है, उनमें किसानों के कृषि पंपों के लिए बिजली आपूर्ति का चालू रखना।

(ग): 'जल' राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधन के संवर्धन, संरक्षण एवं कुशल प्रबंधन के लिए उठाए जाने वाले कदम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

जल शक्ति मंत्रालय वर्ष 2019 से वार्षिक आधार पर जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन कर रहा है। मौजूदा वर्ष में, जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2024 का कार्यान्वयन कर रहा है, जो महाराष्ट्र सहित देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में जल शक्ति अभियान की श्रृंखला में पांचवां है। अभियान के केंद्रित कार्यकलापों में (1) **जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन** (2) सभी जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और उन्हें सूचीबद्ध करना और उसके आधार पर जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएं तैयार करना (3) सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना करना (4) सघन वनीकरण कार्य और (5) जन-जागरूकता सृजित करने जैसे कार्य शामिल हैं। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन के अंतर्गत वर्ष 2021 से 2024 तक महाराष्ट्र में पूरे किए गए कार्य का विवरण **अनुलग्नक- II** में दिया गया है।

केन्द्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने महाराष्ट्र राज्य में पूरे मानचित्रण योग्य क्षेत्र अर्थात् 259914 किमी वर्ग सहित लगभग 25 लाख वर्ग किमी के पूरे मानचित्रण में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण परियोजना पूरी कर ली है। इससे राज्य सरकार को भूजल संसाधनों की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।

वर्ष 2018-19 के दौरान, उस्मानाबाद जिले में अतिदोहित वाटरशेड में भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) योजना के तहत जलभृत कायाकल्प के लिए सीजीडब्ल्यूबी द्वारा क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण संरचना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। कुल 55 चेक बांध, 46 रिचार्ज वेल और 20 पीजोमीटर का निर्माण किया गया और राज्य सरकार को सौंप दिए गए।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत पर पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाएं लागू करना आदि था। वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत महाराष्ट्र की 26 चल रही वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, जिनकी अनुमानित लागत 01.04.2016 तक 21925.75 करोड़ रुपये [केंद्रीय सहायता (सीए) घटक 3045.87 करोड़ रुपये थी] को राज्यों के परामर्श से प्राथमिकता दी गई है।

भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2018 में वित्तीय सहायता के लिए एक विशेष पैकेज लिया गया है ताकि विदर्भ और मराठवाड़ा तथा शेष महाराष्ट्र के सूखा प्रवण जिलों में 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और 8 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2022-23 तक पूरा किया जा सके। दिनांक 13.07.2023 को, वित्त मंत्रालय ने मार्च 2025 तक महाराष्ट्र के लिए विशेष पैकेज के विस्तार की सूचना दी। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2023-24 के दौरान, महाराष्ट्र के लिए विशेष पैकेज के माध्यम से 1.47 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया है।

भारत सरकार समुदाय आधारित सतत भूजल प्रबंधन के माध्यम से भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के उद्देश्य से गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे सात राज्यों के 80 जिलों के 229 ब्लॉकों के तहत 8203 ग्राम पंचायतों के चिन्हित जल की कमी वाले क्षेत्रों में अटल भूजल योजना (अटल जल), जो एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, को लागू कर रही है। यह योजना 01.04.2020 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जा रही है। यह योजना महाराष्ट्र के 13 जिलों के 43 प्रशासनिक ब्लॉकों में शुरू की गई है।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के जल की कमी वाले क्षेत्रों की स्थिति को कम करने के लिए जल-युक्त शिविर योजना के माध्यम से वर्षा जल संचयन, त्वरित कैचमेंट क्षेत्र शोधन, लघु सिंचाई टैंकों का निर्माण, छोटे चेक बांधों जैसी विभिन्न पहलें की हैं।

जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा जल संरक्षण, भूजल के नियंत्रण और विनियमन के लिए और वर्षा जल संचयन/कृत्रिम पुनर्भरण/जल उपयोग दक्षता आदि को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों को यूआरएल <https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3a70dc40477bc2adceef4d2c90f47eb82/uploads/2024/07/20240716706354487.pdf> पर देखा जा सकता है:

अनुलग्नक-1

"महाराष्ट्र में जल की कमी वाले क्षेत्र" के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *62 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

महाराष्ट्र का जिला-वार अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल (ओसीएस) ब्लॉक का ब्यौरा

क्रम संख्या	जिले का नाम	सेमी क्रिटिकल	क्रिटिकल	अतिदोहित	कुल
1	अहमदनगर	5	4	1	10
2	अकोला	1	0	0	1
3	अमरावती	3	1	3	7
4	औरंगाबाद	7	0	0	7
5	बुलढाना	7	0	2	9
6	जलगांव	10	0	2	12
7	लातूर	1	0	0	1
8	नागपुर	1	0	0	1
9	नासिक	3	3	0	6
10	उस्मानाबाद	2	0	0	2
11	पुणे	7	1	0	8
12	सांगली	1	0	0	1
13	सातारा	2	0	0	2
14	सोलापुर	7	0	1	8
	कुल	57	9	9	75

"महाराष्ट्र में जल की कमी वाले क्षेत्र" के संबंध में दिनांक 29.07.2024 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *62 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2021 से 2024 तक जल शक्ति अभियान : कैच द रेन के अंतर्गत महाराष्ट्र में पूरे किए गए कार्यों का विवरण

जल शक्ति अभियान : कैच द रेन					
कार्यकलाप-वार स्थिति रिपोर्ट- महाराष्ट्र (22.03.2021 से 23.07.2024 तक की स्थिति) (पूरे किए गए कार्यों की संख्या के आंकड़े)					
क्रम संख्या	वर्ष	जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन	पारंपरिक जलाशयों का नवीनीकरण	पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं	वॉटरशेड विकास
1.	2024	1,742	526	4,879	1,927
2.	2023	11,381	3,469	26,155	6,400
3.	2022	15,425	4,624	27,905	8,291
4.	2021	4,187	1,197	7,788	6,543
उप योग		32,735	9,816	66,727	23,161
कुल योग		1,32,439			

DR. MEDHA VISHRAM KULKARNI: Sir, the Central Government is consistently doing many things to address this issue. There is a lack of policy or policies on borewells across India, leading to over-extraction of already depleted groundwater tables. In Pune alone, around 5,000 borewells are dug every year to meet increasing water demand. My question is: Will the Central Government decide a policy for this where there will be audit of existing wells and borewells, and there will be a ban on new borewells without registration? Will the Central Government make it mandatory to have groundwater recharge system for each and every borewell?

श्री सी. आर. पाटिल: माननीय सभापति जी, भूजल आकलन रिपोर्ट के अनुसार भूजल पुनर्भरण के कार्य के अंदर मंत्रालय की ओर से बहुत से काम किए गए हैं। यह जो बोरवेल की बात है, तो बोरवेल राज्य का विषय है। उसके ऊपर रोक लगाना, उसके लिए नियम बनाना - यह भी राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार ने उसके लिए दंड के साथ कई प्रावधान उसके अन्दर रखे हैं। इस मंत्रालय की ओर से भू-जल को रिचार्ज करने के लिए 'कैच द रेन' का भी कार्यक्रम दिया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम के द्वारा भी भू-जल को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्भरण करने के लिए यह प्रयास इस मंत्रालय द्वारा लोगों की सहायता के साथ सफलतापूर्वक चल रहा है। इससे उसके अन्दर बहुत सा सुधार दिख भी रहा है।

आपने देखा होगा कि 2023 में 11 परसेंट इकाइयाँ जो थीं - उनमें 17 परसेंट से 11 परसेंट तक हुआ है, यानी भू-जल की क्वालिटी, उसके पुनर्भरण का सक्सेसफुल काम इसके अन्दर हो रहा है और हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हुए उसको कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary, Dr. Medha Vishram Kulkarni.

DR. MEDHA VISHRAM KULKARNI: Sir, what is the current status of Mula-Mutha River Development Project in Pune where this Project is getting implemented by the funds of the Central Government?

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister.

श्री सी. आर. पाटिल: माननीय सभापति जी, यह जो मुला-मुथा परियोजना है, उसके अन्दर राष्ट्रीय नदी सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत JICA से सहायता प्राप्त करके पुणे में मुला नदी के प्रदूषण का उपशमन करने की परियोजना चल रही है। इसके अन्दर अभी तक 990.26 करोड़ रुपये की लागत लगी है। लागत की साझेदारी अनुपात में 85 परसेंट केंद्र सरकार के द्वारा पुणे नगर निगम को दी गई है। माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा 6 मार्च, 2022 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। परियोजना को पूरा करने की निर्धारित तिथि मार्च, 2026 तक है। इसके अन्दर अभी तक 40 परसेंट वास्तविक काम हुआ है और परियोजना का वास्तविक जो स्वरूप है, अभी तक उसकी

लागत 415.98 करोड़ की है। इस परियोजना में 11 STPs का निर्माण, जिनकी क्षमता 396 MLD है और 53.5 किलोमीटर का sewer network भी बिछाने का काम चल रहा है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary number 3, Shri Sanjay Raut.

श्री संजय राउत: चेयरमैन सर, ऑनरेबल मेम्बर ने जो प्रश्न पूछा है, वह महाराष्ट्र से संबंधित है। मैं जरूर यह मानता हूँ कि जो जल है, यह स्टेट का सब्जेक्ट है और राज्य में ऐसी बहुत सी योजनाएँ होती हैं, जिनके द्वारा हम केन्द्र की मदद से पानी के संकट को दूर कर सकते हैं। जो प्रश्न पूछा गया है, वह पेयजल के संकट के बारे में है, bore well के बारे में है, लेकिन आज महाराष्ट्र में जो स्थिति है, वहाँ बाढ़ है। वहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ है, तो वह पुणे में है। पुणे एक ऐसा शहर है, जहाँ educational hub है, industrial hub है। वह एक ऐतिहासिक शहर है, cultural शहर है, लेकिन एक थोड़ी सी बारिश ने पुणे को डुबा दिया है, वहाँ लोग अब नावों में चल रहे हैं। आप देखिए, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूँ, पुणे में नावें चल रही हैं। आज यह हालत है - भ्रष्टाचार की वजह से, करप्शन की वजह से।

श्री सभापति: आपकी supplementary..

श्री संजय राउत: खास करके Pune Municipal Corporation में जिनकी सत्ता है..

श्री सभापति: संजय जी, आप माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछिए।

श्री संजय राउत: खास करके जो Pune Municipal Corporation चला रहे हैं, क्या महाराष्ट्र में जिनकी सत्ता है..

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, आप प्रश्न पूछिए।

श्री संजय राउत: नहीं, सर। पुणे में बाढ़ की जो स्थिति है, वह भ्रष्टाचार की वजह से है। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठिए, बैठिए।

श्री संजय राउत: सर, मेरा मंत्री जी से एक सवाल है।

MR. CHAIRMAN: Yes.

श्री संजय राउत: पुणे में यह जो बाढ़ का पानी है, जैसे आपने मुला-मुथा योजना की बात की, इतने सालों से मैं सुन रहा हूँ कि उसका काम हो रहा है, हो रहा है।

श्री सभापति: आप प्रश्न पूछिए।

श्री संजय राउत: पुणे में अभी जो पानी है, वह excess water है। वहाँ लोग नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ 20 फुट ऊपर तक पानी हो गया है, first floor तक पानी है। लोग 20 दिनों से वहाँ नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। यह जो पानी है, इस पानी का इस्तेमाल अगर हम अच्छे काम के लिए कर सकते हैं या उसके बारे में पुणे के लिए कोई योजना बना सकते हैं, तो सरकार के पास इस प्रकार की क्या योजना है? जो rain water harvesting में 'Promote sustainable water management practice' है, 'Catch the Rain - 2024' है..

श्री सभापति: संजय जी, आपका सुझाव तो आ गया है, अब आप प्रश्न भी पूछिए।

श्री संजय राउत: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पानी को लेकर जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको आप कैसे खत्म करेंगे?

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी।

श्री सी. आर. पाटिल: महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में है। मेरे मंत्रालय द्वारा rainwater harvesting और Catch The Rain के द्वारा जो एक्सेस वाटर है, उसको जमीन में उतारते हुए जहाँ भी पानी की कमी है, जहाँ भी उसका लेवल नीचे गया हुआ है, चाहे वह बोरवेल की वजह से हो या अन्य किसी कारण से हो, उसको चार्ज करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जहाँ तक बाढ़ की स्थिति के बारे में है, उसके लिए संबंधित राज्य सरकार की अपनी योजना भी है और उसके लिए राज्य सरकार ही प्रयत्न करती है। हम लोग एक्सेस वाटर को रिचार्ज करने की पूरी कोशिश करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Now, Supplementary No. 4; Shrimati Jaya Amitabh Bachchan.

श्रीमती जया अमिताभ बच्चन: सर, यह बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग groundwater harvesting पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर ग्राउंडवाटर इतना contaminated है, मैंने उसके ऊपर पिछले हफ्ते माननीय मंत्री जी से सवाल पूछा था। मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि मेरे पास जवाब नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं लिखित रूप में आपको इसका जवाब दे दूँगा, जब कि मंत्री जी को कहना चाहिए था कि इस वक्त मेरे पास आपके प्रश्न का जवाब नहीं है, इसलिए मैं आपको लिखित रूप में इसका जवाब दे दूँगा। अभी तक वह जवाब नहीं आया है। अब आप तय कर दीजिए कि वह जवाब कब तक आएगा। Groundwater harvesting is a very expensive activity. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Yes, hon. Member. ...*(Interruptions)*... Please hear the hon. Member. ...*(Interruptions)*... She is raising a very important point regarding contamination of groundwater; also about groundwater level going down. These are critical issues. She is raising it.

श्रीमती जया अमिताभ बच्चन: सर, ग्राउंडवाटर हार्वेस्टिंग बहुत एक्सपेंसिव एक्टिविटी है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूँ कि उसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है? उसके लिए क्या किया जा रहा है तथा प्रदेश को कितना दिया जा रहा है? Just by saying that it is a State matter is not enough.

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्या ने मुझे भी एक निर्णय करने के लिए कहा है। आप 15 दिनों के अंदर माननीय सदस्या ने पहले जो प्रश्न पूछा था, उसका जवाब सुचारु तथा सार्थक रूप से दे दीजिए।

श्री सी. आर. पाटिल: ठीक है, सर।

SHRIMATI JAYA AMITABH BACHCHAN: Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, hon. Minister.

श्री सी. आर. पाटिल: महोदय, माननीय सदस्या ने भूजल की गुणवत्ता के संबंध में प्रश्न पूछा है। देश में भूजल गुणवत्ता की नियमित आधार पर निगरानी हो रही है। देश में कुछ स्थानों को छोड़ कर भूजल काफी हद तक पीने योग्य बना हुआ है। पंजाब सहित देश के कुछ स्थानों पर नाइट्रेट, आयरन, आर्सेनिक, क्लोराइड और भारी धातुओं की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक पाए जाने की सूचना भी मिली है। उपचार के लिए भी हाल ही में भूजल गुणवत्ता निगरानी के लिए एक एसओपी जारी किया गया है। भूजल की गुणवत्ता प्रभावित होने संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी के बारे में केन्द्रीय एवं राज्य एजेंसियों को सूचित की जा रही है। आर्सेनिक सुरक्षित डिजाइन विकसित कर राज्य सरकार के साथ साझा किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गुणवत्ता प्रभावित गाँव के लिए अतिरिक्त निधि का विशेष प्रावधान भी किया गया है। इसमें अतिदोहित इकाइयाँ वर्ष 2017 में 1,186, 17 परसेंट इकाइयों से घट कर अभी तक 736, यानी 11 परसेंट इकाई हो गई है। जो क्रिटिकल इकाइयाँ हैं, वह 313 से घट कर 199.... 3 परसेंट इकाइयाँ ही बची हैं। 2017 में क्रिटिकल इकाइयाँ की संख्या 972 थी, जो अब 2023 में 698 इकाइयाँ हो गई हैं। 2017 में सुरक्षित इकाइयों की संख्या 4,310 थी, जो अब 2023 में बढ़ कर 4,793 हो गई है। वार्षिक भूजल पुनर्भरण 432 बीसीएम से बढ़ कर 2023 में 449 बीसीएम हो गया है।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary question; Dr. Bhagwat Karad.

डा. भागवत कराड़: ऑनरेबल चेयरमैन सर ,मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में अगर कोई रीजन है, जहां वॉटर के लिए स्ट्रेस है, तो वह मराठवाड़ा है। ...**(व्यवधान)**... मराठवाड़ा में पीने के पानी का भी दुर्भिक्ष है। मराठवाड़ा में जो दुर्भिक्ष है, उसको देखते हुए क्या वहां के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, जिससे मराठवाड़ा रीजन में पानी का जो दुर्भिक्ष है, उसको दूर करने में मदद मिल सके? क्या ऐसी किसी स्कीम के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, यही मेरा क्वेश्चन है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी।

श्री सी. आर. पाटिल: माननीय महोदय, आदरणीय सदस्य जी ने जो पूछा है, उसके उत्तर में मैं बताना चाहता हूँ कि जो मराठवाड़ा वाटर ग्रिड स्कीम है, वह स्कीम महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी हुई है।

MR. CHAIRMAN: Question No. 63; Shri K.R.N. Rajeshkumar.